

रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
उपनिवेशन विभाग


क्रमांक 3(23)उप/2020

जयपुर, दिनांक: 22/04/2026

अधिसूचना


राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें, 1955 की शर्त सं. 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा उपनिवेशन क्षेत्र के समस्त श्रेणी के काश्तकारों (सभी श्रेणी के आवंटियों यथा सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन व मोहरबंद नीलामी द्वारा आवंटन आदि) को कृषि भूमि पेटे शेष रही बकाया किशतों की राशि 01.04.2026 से 30.09.2026 तक की अवधि में एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(जयवीर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ उप आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उपनिवेशन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, माननीय उपनिवेशन राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उपनिवेशन विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
8. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग जयपुर को भेजकर लेख है कि इसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में करवाकर प्रति इस विभाग को भी भिजवाने का श्रम करें।
11. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राजस्व विभाग को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
12. रक्षित पत्रावली।
13. मास्टर गार्ड फाईल।


शासन उप सचिव